भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
**राज्य सभा**
लिखित प्रश्न सं. 445
गुरूवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

**देश में चिकित्सा पर्यटन**

**445 श्री धनंजय भीमराव महादिक:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश, विशेषकर महाराष्ट्र में आए चिकित्सा पर्यटकों की संख्या के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चिकित्सोपचार के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या सरकार देश के छोटे/टियर-2 शहरों में चिकित्सा पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहलों के जरिए भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है । वर्तमान में जारी अपने कार्यकलापों के भाग के रूप में चिकित्सा पर्यटन सहित भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन किया जाता है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने भारत में चिकित्सा उपचार करवाने की इच्छा रखने वालों के लिए मेडिकल वेल्यू ट्रैवल (एमवीटी) हेतु भारत का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है । इस पोर्टल से भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा यात्रियों से संबंधित सूचना और रोगी के विवरण को स्ट्रीमलाइन करने में सहायता मिलती है । वेब-लिंक https://healinindia.gov.in/ द्वारा इस पोर्टल को एक्सेस किया जा सकता है ।

चिकित्सा उपचार हेतु भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने 167 देशों के नागरिकों के लिए ई-चिकित्सा वीजा/ई-चिकित्सा सहयोगी वीजा सुविधा प्रदान की है ।

पिछले 3 वर्षों में चिकित्सा हेतु कुल वर्ष-वार विदेशी पर्यटक आगमन नीचे दिया गया है:

| **वर्ष** | **चिकित्सा के प्रयोजन से (हजार में)** |
|---|---|
| 2020 | 183 |
| 2021 | 304 |
| 2022 | 475 |
| 2023 (*) | 635 |

स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई), *: अनंतिम

पर्यटन मंत्रालय द्वारा विदेशी पयर्टक आगमन का राज्य और प्रयोजन-वार विवरण तैयार नहीं किया जाता है ।

(ग): पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा पर्यटन से प्राप्त आय संबंधी आंकड़े तैयार नहीं करता है ।

(घ) और (ड.): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि भारत सरकार ने टियर-2 तथा टियर-3 शहरों में स्वास्थ्य अवसंरचना के निर्माण हेतु ऋणों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं ।

अनेक प्रमुख अस्पतालों ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश किया है । डेंटल इम्प्लांट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे विशेष प्रोसीजर अब इन टियर-2 और टियर-3 शहरों में उपलब्ध हैं ।

*****